उत्तर प्रदेश शासन

कारागार प्रशासन एंव सुधार अनुभाग-4

संख्या-26 /2020/213/22-4-2020-05रिट/18

लखनऊ : दिनांक: 03 जून, 2020

अधिसूचना

कारागार अधिनियम, 1894 (अधिनियम संख्या 9 सन् 1894) की धारा-3 के खण्ड(1) के अधीन शक्तियों का प्रयोग करके राज्यपाल आदेश देती हैं कि नवीन जिला कारागार, बरेली की प्रसीमा, केन्द्रीय कारागार, बरेली (**द्वितीय**) होगी, जिसकी सीमाएं नीचे अनुसूची में विनिर्दिष्ट हैं और उसका उपयोग बंदियों को निरूद्ध करने और उनका सुधार करने के लिए कारागार के रूप में किया जायेगा।

अनुसूची

केन्द्रीय कारागार, बरेली (द्वितीय) की सीमाएं

दिशा	गाटा-खसरा संख्या/भूमि की स्थिति	सम्बन्धित ग्राम का नाम	विवरण
पूरब	पक्की सड़क जो ग्राम केसरपुर से कमुआ मोड़ पर वीसलपुर मार्ग से मिलती है।	ग्राम-सैदपुर	पक्की सड़क
पश्चिम	ग्राम चौसण्डा की गाटा संख्या-193, 195, 197 आदि।	ग्राम-चौसण्डा	कृषकों की आराजी है।
उत्तर	ग्राम-वैवहा की सीमा व सैदपुर कुर्मियान के गाटा संख्या-270, 263, 259 आदि।	ग्राम-वैवहा सैदपुर कुर्मियान	कृषकों की आराजी है।
दक्षिण	ग्राम-भरतापुर के गाटा संख्या-17, 27/2, 25/2 आदि।	ग्राम-भरतापुर	कृषकों की आराजी एवं महिला केन्द्रीय कारागार है।

अवनीश कुमार अवस्थी

अपर मुख्य सचिव।

---2

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-26 /2020/213(1)/22-4-2020-05रिट/18-तददिनांक-

अधिसूचना की अंग्रेजी प्रति सहित निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महानिदेशक/महानिरीक्षक कारागार प्रशासन एवं सुधार सेवायें, उ0प्र0, लखनऊ।

(2) पुलिस महानिदेशक, उ0प्र0, लखनऊ।

(3) मण्डलायुक्त, बरेली।

(4) जिलाधिकारी, बरेली।

(5) पुलिस उप महानिरीक्षक, बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

(6) वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, बरेली।

(7) उप महानिरीक्षक, कारागार बरेली परिक्षेत्र, बरेली।

(8) संयुक्त निदेशक, राजकीय मुद्रणालय, ऐशबाग, लखनऊ को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि वह कृपया प्रश्नगत अधिसूचना को असाधारण गजट में प्रकाशित कराने का कष्ट करें तथा प्रकाशित अधिसूचना की 100 गजट प्रतियां शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

(9) अधीक्षक, जिला कारागार, बरेली।

(10) निजी सचिव, मुख्य सचिव को मुख्य सचिव के सूचनार्थ।

(11) गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

करूणेश कुमार सिंह
उप सचिव।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

Uttar Pradesh Shasan
Karagar Prashasan Evam Sudhar Anubhag-4

The Governor is pleased to order the publication of the following English translation of notification no- /2020/213/22-4-2020-05रिट/18, Dated- May, 2020

NOTIFICATION
No- /2020/213/22-4-2020-05रिट/18
Lucknow, Dated- May, 2020

In exercise of the powers under clause (1) of section-3 of the Prisons Act, 1894(Act.no-9 of 1894), the Governor is pleased to order that the precinct of the New District Prison Bareilly shall be Central Jail Bareilly (Second) whose boundaries are specified in the Schedule below and shall be used permanently as Prison for the detention and reformation of prisoners.

SCHEDULE

Boundaries of the Central Prison, Bareilly (Second)

Direction	Gata-Khasara Number/Land Position	Name of concerned Village	Details
East	Pakka painted road meeting at Bisalpur road to Kamua turning point which is connected from Kesarpur to Bisalpur	Village-Saidpur	Pakka Road
West	Village Chausanda Gata no.-193,195, 197 etc.	Village-Chausanda	Farmers Holding
North	Border of Village Vaivaha & gata no.-270,263,259 etc. of village Saidpur Kurmiyan	Village-Vaivaha, Saidpur Kurmiyan	Farmers Holding
South	Gata no.-17, 27/2, 25/2 etc. village-Bhartapur	Village-Bhartapur	Farmers Holding and Female Central Jail.

Awanish Kumar Awasthi
Additional Chief Secretary

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।